


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री नरसिंह साव पिता- श्री इश्वरी साव, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, सराधु & होन्हे, (रैयाती) खाता सं. 45, 31, 31, 2, 53 & 46 प्लॉट सं. 413, 305, 305, 1422, 222 & 568, कुल रकबा: - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, सराधु & होन्हे, (रैयाती) खाता सं. 45, 31, 31, 2, 53 & 46 प्लॉट सं. 413, 305, 305, 1422, 222 & 568, कुल रकबा: - 2.00 एकड़ भूमि, के तहत श्री नरसिंह साव पिता- श्री इश्वरी साव, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


21/11/13